मां बम्लेश्वरी स्व. सहायता समूह जिला राजनांदगांव

(महिला सशक्तिकरण हेतु सार्थक पहल)

परिचय

महिला सशक्तिकरण वर्ष 2001 में राजनांदगांव जिले की महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु सार्थक व परिणाम मूलक प्रयास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 4 एवं 5 जनवरी 2001 को कलेक्टर, राजनांदगांव की अध्यक्षता में संपन्न कार्यशाला में तैयार कार्ययोजना अनुसार 26 जनवरी 2001 से मां बम्लेश्वरी स्व सहायता समूह के रूप में महिला स्व सहायता समूहो के गठन का शुभारंभ किया गया।

राजनांदगांव जिला 9 विकास खंड में विभाजित है जिसमें 3 विकास खंड आदिवासी विकासखंड है जिले में कुल राजस्व भाग 1680 एवं आबाद ग्राम 1596 है वन ग्राम 5 है ।

जिले में 26 जनवरी 2001 से समूह गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई जिससे अब तक के प्रगति निम्नानुसार है –

मां बम्लेश्वरी समूह – एक नजर ....

जिले के कुल राजस्व गांव	1596
महिला स्व सहायता से कव्हर्ड ग्राम	1378
जिले में कुल गठित महिला स्व सहायता समूह	7201
गठित समूह में शामिल महिलाएं	90191 (अजा.–13222, अजजा – 26978, पि. वर्ग – 45094, सामान्य वर्ग – 4897)
बैंक में खाता खोले गए समूह संख्या	7201
महिला स्व सहायता समूह के कुल बचत राशि	346 लाख
महिला स्व सहायता समूह के कुल बचत राशि	7201
महिला स्व सहायता समूह के कुल बचत राशि	346 लाख
आपसी लेनदेन में शामिल समूह	6780
किशोरी बालिका समूह --	
कुल गठित समूह	1325
समूह में शामिल बालिकाएं	17750
किशोरी बालिका द्वारा कुल जमा राशि	22 लाख
स्वयं सहायता समूह – बैंक संयोजन (लिंकेज) कार्यक्रम	

कुल बैंक से लिंकेज समूह	2942
कुल बैंक लिंकेज राशि	257 लाख
छत्तीसगढ़ महिला कोष्ठ से महिला स्व सहायता समूह को उपलब्ध कराये गये ऋण	
समूहों की संख्या	241
उपलब्ध कराये गये राशि	**11.92 लाख**

महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियां

आर्थिक गतिविधियां –

क्रमांक	**गतिविधियों का नाम**	**समूह संख्या**	**शामिल महिलाएं**
1	2	3	4
1.	गिट्टी खादान ठेका	18	235
2.	बाजार ठेका	09	110
3.	मछली पालन	129	1653
4.	पशुपालन	72	888
5.	कृषि कार्य (राजगामी संपदा की भूमि)	432	4500
6.	वनोपज संग्रहण	37	384
7.	होटल, दुकान, मनिहारी आदि	215	2292
8.	सब्जी व्यवसाय	339	4694
9.	बड़ी, पापड़ मषाला, अगरबत्ती	213	2325
	योग	**1675**	

समविकास योजना अंतर्गत महिला स्व सहायता समूह को व्यवसायवार प्रशिक्षण :

क्रमांक	**व्यवसाय का नाम**	**प्रषिक्षित समूह संख्या**	**रिवाल्विंग फंड प्रदाय राषि**
1.	वाषिंग पाउडर	240	48.00 लाख
2.	अगरबत्ती एवं मोमबत्ती	240	48.00 लाख
3.	मषाला उत्पादन	120	24.00 लाख
4.	खाद्यान प्रषंसकरण	426	78.80 लाख
5.	हाथकरघा	06	–––
	कुल योग	**1032**	**198.80 लाख**

महिला समूह द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत उचित मूल्य दुकान संचालन

संचालित उचित मूल्य दुकान संख्या	212

संचालन हेतु महिला समूहों को उपलब्ध कराई गई कार्यषील पूंजी	119.75 लाख

सामाजिक गतिविधियां –			
कमांक	**गतिविधियों का नाम**	**समूह संख्या**	**शामिल महिलाएं**
1.	मध्यान्ह भोजन संचालन	1741	24211(1851 स्कूलों में)
2.	बाल भोज	4225	54300 (06 माह से 06 वर्ह्ष के बच्चों को)
3.	नशा बंदी	625	
4.	दत्तक पुत्री (महिला समूह द्वारा)	2800	बच्ची को लिया गया है
5.	बाल विवाह रोकथाम	570	
6.	राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे पल्स पोलियो, राष्ट्रीय दिवस कुष्ठ जांच, एड्स जांच आदि में सहयोग		
7.	पानी बचाव अभियान अंतर्गत सोख्ता गढ्डा का निर्माण		
8.	ग्रामीण साफ–सफाई अभियान		
9.	ग्रामीण शौचालय निर्माण में सहयोग		
10.	वन सुरक्षा हेतु अभियान		
11.	सिकलसेल जांच अभियान में सहयोग		

मां बम्लेश्वरी स्व सहा. समूह–अब तक

- 26 जनवरी 2001 से 31 मार्च 01 तक कुल 5138 महिला स्व सहायता समूह का गठन किया गया जिसमें लगभग 65000 महिलाएं जुड़ी ।
- जून 2005 तक कुल 7201 महिला समूह का गठन किया जाकर बैंक खाता खोला जा चुका है जिसमें 90191 महिला जुड़ी है । और उनके कुल बचत राशि 33216935/– रूपये है ।

जिले में समूहो के सशक्तिकरण के लिये त्रिस्तरीय प्रशिक्षण

- जिला स्तरीय प्रशिक्षण –जिला स्तर पर समस्त विभागों के विभाग प्रमुख एवं जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स, विशेह्ज्ञों के माध्यम से प्रत्येक विकासखंड से 10–10 मास्टर ट्रेनर्स को बुलाकर अप्रैल 01 से जुलाई 01 तक चार माह तक वृहद प्रशिक्षण निर्धारित कैलेण्डर अनुसार दिया गया ।
- विकासखंड स्तरीय प्रशिक्षण – विकासखंडों से मास्टर ट्रेनर्स जो जिला स्तर के प्रशिक्षण में प्रशिक्षण प्राप्त किये थे के द्वारा सेक्टर स्तर पर ग्राम प्रभारी शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं पंचायत सचिवों को चरणबद्ध ढंग से चार माह तक निर्धारित कैलेण्डर अनुसार प्रशिक्षण दिया गया ।

- **ग्राम स्तरीय प्रशिक्षण** – सेक्टर स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त किये मास्टर ट्रेनर्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, ग्राम प्रभारी शिक्षक एवं पंचायत सचिव द्वारा ग्राम स्तर पर ग्रामीण महिलाओं को इक्ट्ठा कर निर्धारित कैलेण्डर अनुसार चरणबद्ध प्रशिक्षण दिया गया ।

मां बम्लेश्वरी समूह की गतिविधियां

- 1जून 2005 तक 7201 समूह गठन के कुल जमा राशि 33216935/– कुल बचत राशि के विरूद्ध बैंक लिंकेज 2793 समूहो को दिया गया है बैंक से 25511292/– ऋण दिया जा चुका है एवं वसूली 100 प्रतिशत है ।

- कुल गठित स्व सहायता समूह में 6980 समूहो द्वारा आपसी लेनदेन प्रारंभ कर दिया है ।

- दिनांक 7–2–01 को राजगामी संपदा समिति की बैठक में यह निर्णय किया गया कि सम्पदा को 22 ग्रामो स्थित साढे चार हजार एकड़ भूमि बाग बगीचे कछार जिन्हे प्रतिवर्ङ्ढ बडे लोगो को नीलामी मे एक वर्ङ्ढ के लिये दिया करते थे उस भूमि एवं बाग बगीचो को इन महिला समूहो को लीज पर दिया जावेगा। इस निर्णय से महिला समूहो की जबरदस्त उत्साह पैदा हुआ और गत वर्ङ्ढ के नीलाम के बराबर राशि जमा कर 16 ग्राम के 100 समूहो को राजगामी संपदा की जमीन लीज पर दी गई । कुल 1419.741 एकड़ रकबा तब से लगातार महिला एवं सहायता समूहो को दिया जा रहा है । पिपला कछार के तीन महिला स्व सहायता समूह, घुपसाल छुरिया, एवं खूंटा छुरिया के स्व सहायता समूहो द्वारा उक्त जमीन से काफी लाभ कमाया है ।

- गोपालपुर विकासखंड छुरिया मे महिला स्व सहायता समूहों द्वारा लगभग 120 एकड़ जमीन पर पर्यावरण विभाग भारत शासन विभाग के सहयोग से बास परियोजना के अंतर्गत बांस रोपण किया गया है, जिसका स्वामित्व महिला समूहो को ही दिया जायेगा ।

- **सामाजिक राष्ट्रीय कार्यक्रम –**
  समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रम पल्स पोलियो, कुष्ट निवारण, एड्स सर्वे, 26 जनवरी, 15 अगस्त आदि के अवसरो पर सभी ग्रामो में महिला समूहो द्वारा सहयोग किया जाता है ।

- **पानी बचाओ अभियान** –
  दैनिक भास्कर समूह के सहयोग से 7 मई 01 को ग्राम गुण्डरदेही मे इन समूहो द्वारा पानी बचाओ अभियान की शुरूआत की तथा तत्पपश्चात् महिला समूहो द्वारा गांव गांव मे जागरूकता रैली निकालकर पानी बचाओ अभियान की सहयोग दिया ।

- **मृत्यु भोज सीमित करना** –
  ग्राम गर्रापार (खैरागढ) एवं सोमनी राजनांदगांव के महिला समूहो ने प्रस्ताव पारित किया कि मृत्यु भोज सीमित किया जाये व इस पर करना प्रारंभ कर दिया ।

- **साफ–सफाई** –
  मां बम्लेश्वरी समूह की महिलाओ द्वारा ग्राम में तालाब कुंए आदि पर गंदगी नहीं करने एवं प्रतिमाह पूर्णिमा के दिन साफ का कार्य किया जाता है एवं हेतु के नीचे बर्तन मांजने पर जुर्माना का प्रावधान रखा है.

- **बाल विवाह रोकथाम** –
  बाल विवाह रोकथाम हेतु महिला समूहो द्वारा रैली निकाली जा रही है एवं दीवालो में नारा लेखा का कार्य किया गया है जिले मे माह जून 05 तक 90000 दीवारों में नारा लेखन, विवाह तिथि का प्रमाण पत्र वितरण एवं 372 समझाईश से बाल विवाह रोकी गयी ।

- **बाल भोज** –
  महिला स्व सहायता समूहो द्वारा प्रतिमाह 6 माह से 6 वर्ष्ठ के बच्चो को बाल भोज पूर्णिमा के दिन करवाया जाता है ।

- **सायकल सीखो अभियान–**
  इस अभियान के अंतर्गत सायकल चलाना महिलाओ को सीखाया जा रहा है जिले मे स्व सहायता समूहो के लगभग 4000 महिलाओ ने सायकल चलाना सीख लिया है । महिला के दक्षता उन्नयन हेतु नाबार्ड के सहयोग से 500 रूपये प्रति साइकिल छूट में 2000 साइकिल महिला समूह को वितरण किया गया ।

- **वृक्षारोपण** –
  महिला स्व सहायता समूहो द्वारा पर्यावरण क्षेत्र मे वृक्षारोपण का कार्य प्रतिवर्ष्ठ किया जाता है।

- **दत्तक पुत्री** –
  निर्धन वर्ग के बालिका को समूहो द्वारा दत्तक पुत्री लिया जाता है । इसमें प्राथमिक शाला तक 300/– एवं माध्यमिक शाला मे 400/– तक के समूह के महिलाओ द्वारा सामग्री रूप में संबंधित बालिका को सहायता दिया जा रहा है वर्ष्ठ 2004–05 में 1125 की बालिकाओ को महिला समूहो द्वारा दत्तक लिया गया।

- **कुपोष्ठित बच्चो को गोद लिया** –
  महिला स्व सहायता समूह के महिलाओ द्वारा ग्राम के कुपोष्ठित बच्चो को गोद लेकर खानपान की जिम्मेदारी उठाया जा रहा है जिले मे स्व सहायता समूहो द्वारा 342 बच्चियो को गोद लिया गया है ।

- **मध्यान्ह भोजन** –
  महिला स्व सहायता समूहो द्वारा जिले के प्राथामिक शालाओ में मध्यान्ह भोजन गुणवत्तापूर्वक संचालन का जिम्मा लिया है जिले में कुल 1833 प्राथमिक शालाओं में से 1710 प्राथमिक शालाओं में महिला समूहो द्वारा मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम संचालन किया जा रहा है ।

- **ग्राम सभा मे जाना** –
  महिला समूहो द्वारा ग्राम मे जाकर ग्राम के विकास संबंधी कार्यो की जानकारी लिया जाता है जिससे ग्रामो में शासकीय कार्यो के गुणवत्ता मे सुधार हो रहा है ।

- **शराब बंदी** –
  महिला स्व सहायता समूहो ने शराब बंदी भी जागरूकता अभियान चलाया है इसके अंतर्गत ग्राम चिरचारी एवं भोलापुर ग्राम में शराब बनाने पर जुर्माना वसूल किया है एवं ग्राम मेढा मे महिला समूहो ने एकजुट होकर ग्राम में संचालित शराब दुकान को बंद करवा दिया है इसी तरह लगभग 450 से अधिक ग्रामों में महिला समूहो द्वारा शराब बंदी पर काम किया है ।

ग्रामीण महिला ओलपिंक

ग्रामीण महिला ओलंपिक के द्वारा ग्रामीण महिलाओ का खेलकूद का आयोजन किया जाना जो असंभव प्रतीत होता था परंतु ग्राम के अनपढ एवं कम पढ़ी लिखी महिलाओ द्वारा जो कभी घर के बाहर डेहरी पार नही की थी के द्वारा साइकल रेस, पैदल चाल, कुर्सी दौड़, रस्सा खींच आदि खेलकूद में बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया । साइकिल चलाकर बैंक जाना, शासकीय कर्मचारियों के योजनाओं की जानकारी प्राप्त करना, ग्राम सभा मे एवं सचिवालय में महिलाओं के समस्याओ को अवगत कराकर चर्चा करना, ग्रामीण महिला खेलकूद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, महिलाओं के क्षमता विकास एवं सशक्तिकरण के दिशा मे एक सार्थक पहल है ।

आर्थिक गतिविधियों

महिला स्व सहायता समूह गठन के पश्चात् अपने स्वयं के बचत राशि से एवं बैंक से प्राप्त ऋण से छोटे-छोटे आवश्यकताओ की पूर्ति कर रही है और साहूकारो के चंगुल से बच रही है । महिला समूह द्वारा आर्थिक कार्य निम्नानुसार है –

- **साप्ताहिक बाजार ठेका–**
  महिला समूहो द्वारा बाजार ठेका लेकर धनउपार्जन का कार्य रही है जिससे विकासखंड डोंगरगढ के मोहारा ग्राम में महिला समूहो द्वारा बैंल बाजार, सबजी बाजार एवं सायकिल स्टेण्ड ठेका पर लेकर स्वयं चला रहे है जिले में कुल 35 समूहो द्वारा बाजार ठेका व्यवसाय किया जा रहा है ।

- **मछली पालन –**
  जिले मे कुल 226 महिला समूहो द्वारा मछली पालन किया जा रहा है जिससे 2606 महिलाओ शामिल है ।

- **पशु पालन–**
  बकरी पालन का कार्य जिले मे 46 समूहो द्वारा किया जा रहा है जिससे 496 महिलाओ शामिल है ।

- **कृहि –**
  रेगहा खेती का कार्य 339 समूहो द्वारा किया जा रहा है जिससे 3914 महिलाएं शामिल है ।

- **उद्यानिकी –**
  उद्यानिकी क्षेत्र में 142 समूह कार्य कर रही है जिससे 1868 महिलाएं शामिल है ।

- **वनोपज संग्रहण क्रय–विक्रय–**
  वनोपज संग्रहण एवं क्रय विक्रय के कार्य में 13 समूह कार्य कर रही है जिससे 134 महिलाएं शामिल है ।

- **होटल, कपडा दुकान, मनिहारी एवं किराना दुकान –**
  इस क्षेत्र में 168 महिला स्व सहायता समूह कार्य कर रही है जिससे 1697 महिलाएं शशामिल है डोंगरगढ विकासखंड के अछोली ग्राम मे महिला समूह द्वारा होटल व्यवसाय, एवं इमामी के सामान बिक्री का कार्य कर रही है ।

- **सब्जी क्रय विक्रय –**
  सब्जी क्रय विक्रय का कार्य जिले मे 368 समूहो द्वारा किया जा रहा है जिससे 6938 महिलाएं शामिल है ।

- **बडी, पापड़, आचार, मसाला बनाना आदि –**
  इस क्षेत्र मे जिले में 51 समूह कार्य कर रही है जिससे 714 महिलाएं शामिल है ।

- **खदान ठेका –**
  महिला समूह द्वारा गिट्टी खदान का ठेका 13 समूह द्वारा लिया गया है. जिसमें 225 महिलाएं शामिल है ।

- **समविकास योजनान्तर्गत महिला समूहों को प्रशिक्षण –**
  सम विकास योजनान्तर्गत 1008 महिला समूह को व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया गया है जिसमें अगरबत्ती, मोमबत्ती, मशाला उद्योग, खाद्यान प्रसंशकरण आदि गतिविधियों कें दक्ष बनाया गया है और आर्थिक गतिविधि संचालन हेतु 760 समूह को प्रति समूह 20000/– रूपये रिवाल्विंग फंड उपलब्ध कराया गया है ।

- **उचित मूल्य की दुकान –**
  शासन की नीति के तहत महिला समूह को 180 उचित मूल्य की दुकान संचालन हेतु आबंटित किया गया है । जिसे सफलतापूर्वक महिला समूहों द्वारा संचालित किया जा रहा है ।

- **अन्य गतिविधि –**
  महिला समूहो द्वारा अन्य गतिविधियों जैसे, किराया भंडार, गोठान ठेका आदि क्षेत्र में 112 समूह कार्य कर ही है जिसमें 1212 महिलाएं शामिल है ।

- **आपसी लेनदेन–**
  महिला स्व सहायता समूह कुल गठित समूह 7201 मे से 6980 समूह आपसी लेनदेन कार्य कर रही है ।

मां बम्लेश्वरी फेडरेशन

मां बम्लेश्वरी समूह को सशक्त बनाने एवं प्रशासनिक कसावट के उद्देश्य से ग्राम स्तर, विकासखंड स्तर एवं जिला स्तर पर फेडरेशन बनाया गया है ।

- **ग्राम स्तरीय समूह –** ग्राम स्तर पर लगभग सभी ग्रामों में 1 से अधिक समूहों का गठन किया गया है और कई ग्रामों में 30 समूह तक का गठन किया जा चुका है अतः ग्राम स्तर के समूह को संगठित करने के लिए सभी समूह के एक–एक महिला सदस्य को लेकर अलग से ग्राम स्तरीय समूह का गठन किया गया है । जो प्रत्येक समूह का मानिटरिंग करते है ।

- **विकासखंड स्तरीय समूह** – विकासखंड स्तर पर प्रत्येक ग्राम स्तरीय समूह के एक–एक महिलाओं को सदस्य बनाया गया है और उन महिलाओं में से 10 महिलाओं को चयन कर विकासखंड स्तरीय फेडरेशन बनाया गया है ।

- **<u>जिला स्तरीय समूह –</u>** प्रत्येक विकासखंड से चयनित 10–10 महिलाओं को जिला स्तरीय फेडरेशन के सदस्य बनाया गया है और उन महिलाओं में से 10 महिलाओं की चयन कर जिला स्तरीय फेडरेशन का गठन किया गया है ।